



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240240
CG-DL-E-14112022-240240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5033]
No. 5033]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 5252(अ).— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा (3) की उपधारा (3) के खंड (छ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े, अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित करती है।

2. इसके अलावा, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े, अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, की दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) के सदस्य के रूप में, तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करती है। डीयूएसी में सदस्य के रूप में अपर सचिव श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े का कार्यकाल आयोग के अन्य सदस्यों के साथ ही समाप्त (को-टर्मिनस) होगा।

3. यह मंत्रालय की दिनांक 02.01.2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.58 (ई) अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

[फा.सं. के-11011/21/2004-डीडी-ए]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2022

S.O. 5252(E).— In exercise of the powers conferred by sub- section (1), read with clause (g) of sub- section (3) of section (3) of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Shri Surendrakumar Bagde, Additional Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, as Member of the Delhi Development Authority, with immediate effect.

2. Further, in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government appoints Shri Surendrakumar Bagde, Additional Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, as Member of the Delhi Urban Arts Commission (DUAC), with immediate effect. The tenure of Shri Surendrakumar Bagde, Additional Secretary, as Member in DUAC shall be co- terminus with the other Members of the Commission.

3. This issues in supersession of Ministry's Notification No. S.O.58 (E) dated 02.01.2020.

[F. No. K-11011/21/2004-DD-IA]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.